भारत और अन्य का संघ

वी.

पूर्व. एच. सी./जी. डी. विरेंडर सिंह

(2022 की सिविल अपील संख्या 5545)

22 अगस्त, 2022

[संजीव खन्ना और बेला एम. त्रिवेदी, न्यायाधीशगण]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2022 का सिविल अपील सं. 5545

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के रिट याचिका (सी) संख्या 402/2021 में दिनांक 12.01.2021 के निर्णय और आदेश के विरूद्ध।

2020 का एसएलपी (सी) D.No.14322, एसएलपी (सी) संख्या। 16065 , 16179 2021 का, [2022] 10 एस. सी. आर. 2022 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 4279,2021 की सिविल अपील संख्या 1592, एस. एल. पी. (सी) डी. 2020 का 19618, सिविल अपील 2021 का No.1600, SLP (C) D. No. 2020 का 19905, एस. एल. पी. (सी) सं. 11603 , 12597 , 11924 , 11663 2020 की सिविल अपील सं. 2021 की सिविल अपील सं. 1597, एसएलपी (सी) सं. 13066 , 11899 2020 का एस. एल. पी. (सी) डी. नं. 2020 का 26590,2021 का एसएलपी (सी) D.No.15702 एसएलपी, सिविल अपील नं. 1603-1609 2021 का एसएलपी (सी) D.Nos। 16220 , 17489 2020 का एसएलपी (सी) Nos.11679,2020 का 12110,12092,11858, एसएलपी (सी) संख्या। 3775 , 4012 2021 में, एसएलपी (सी) D.nos। 4311 , 4350 , 4357 , 4362 , 4359 , 4405 2021 का एसएलपी (सी) Nos.4118,2021 का 4065, एसएलपी (सी) D.Nos। 4918 , 4920 , 4921 , 4926 , 4928 , 4933 , 4938 2021 का एसएलपी (सी) संख्या 2021 का 4011, एसएलपी (सी) D.Nos। 4966 , 4975 2021 की एसएलपी (सी) संख्या। 4407 , 3833 , 4493 2021 का एस. एल. पी. (सी) डी. नं. 2021 का 5031,2021 का एसएलपी (सी) No.3830, एसएलपी (सी) डी. 2021 का 5041, एसएलपी (सी) संख्या। 4015 , 5018 2021 का एसएलपी (सी) D.Nos। 5916 , 5954 2021 की एसएलपी (सी) संख्या। 5168 , 4995 2021 का एस. एल. पी. (सी) डी. नं. 2021 का 8333,2021 का एसएलपी (सी) सं. 6057, एसएलपी (सी) डी. सं. 2021 का 4972,2021 का एसएलपी (सी) संख्या 6082, एसएलपी (सी) D.Nos। 4934 , 4993 2021 का एस. एल. पी. (सी) संख्या 2021 का

4598, एस. एल. पी. (सी) D.Nos। 4924 , 4989 , 8463 , 5039 2021 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 4392, एस. एल. पी. (सी) डी. 2021 का 6848, एसएलपी (सी) संख्या। 5075 , 5086 , 4033 , 6031 , 6094 , 8726 , 6694 , 6440 , 8727 , 8722 , 5750 , 7392,8723 , 6858 , 8724 , 7553 , 7960 , 7136 , 8683 , 8700 , 8725 , 8936 , 8728 2021 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 2020 की 11738, एस. एल. पी. (सी) संख्या। 10921 , 7523 , 4216 , 5269 , 3766 , 10923 , 8126 , 10922 , 8729 , 8874 , 11910 , 11419 2021 का एस. एल. पी. (सी) डी. नं. 2021 का 15753,2021 का एसएलपी (सी) संख्या 12031, एसएलपी (सी) D.Nos। 15751 , 15705 , 15714 , 15700 , 15713 2021 की एसएलपी (सी) संख्या 11,532, एसएलपी (सी) डी. 2021 का 15759, एसएलपी (सी) संख्या। 11568 , 11019 , 11682 , 11681 , 11700 2021 का एस. एल. पी. (सी) डी. नं. 2021 का 15712, एसएलपी (सी) संख्या। 12030 , 11048 2021 का एसएलपी (सी) D.Nos। 15532 , 15756 , 15694 2021 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 11,542, एस. एल. पी. (सी) डी. 2021 का 15697, एसएलपी (सी) संख्या। 12495 , 15093 , 13493 , 16411 , 13803 2021 का एस. एल. पी. (सी) डी. नं. 2021 का 18800,2021 का एसएलपी (सी) संख्या 20257, एसएलपी (सी) संख्या। 307 , 42 2022 का एस. एल. पी. (सी) डी. 2021 का 26989,2021 का एसएलपी (सी) No.19129, एसएलपी (सी) संख्या। 370 , 491 , 381 , 959 , 377-378 , 932 2022 की एसएलपी (सी) संख्या। 19290 , 8721 2021 का एसएलपी (सी) 2020 का D.No.19614, एसएलपी (सी) संख्या। 6053-6054 , 9796 , 9797 , 5580 , 9795 , 9704 , 7196 , 9056 , 9678 , 8598 , 12240 , 12241 2022 की रिट याचिका (सी) संख्या 2022 की 561, एसएलपी (सी) संख्या। 13440 , 13441 , 9118 2022 तक के साथ ।

अपीलार्थियों के लिए माधवी दीवान, विक्रमजीत बनर्जी, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., आर. बाला सुब्रमण्यम, सीनियर एड. , बी. वी. बलराम दास, सुश्री विमला सिन्हा,राजेश के. सिंह, सुश्री सीमा बेंगनी, प्रशांत सिंह, अमित शर्मा, बी., श्यामल कुमार, सुश्री वैशाली वर्मा, वरुण चुघ, सुश्री निधि खन्ना, सुश्री ऐशानी नारायण, सुश्री शुभा यादव, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, सुश्री नचिकेता जोशी, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, मानवेंद्र सिंह, बीएलएन शिवानी, सुश्री श्रेया जैन, मेरुसागर सामंत्रे, योगेश पचौरी, पी. वी. योगेश्वरन, अरविंद कुमार शर्मा, संजय मणि त्रिपाठी, पवन कुमार शर्मा, प्रखर शर्मा, अली जेठमलानी, सुश्री अनु गुप्ता, संतोष कुमार, सुश्री रुचि कोहली, अमित शर्मा।

उत्तरदाता के लिए मनोज वी. जॉर्ज, सुश्री शिल्पा लिजा जॉर्ज, के. एम. विग्नेश राम, आकृति सेठ, रंजीत वी. फिलिप, नसीब मसीह, सुश्री ऋचा ओझा, सतीश कुमार, सुश्री लक्ष्मी एन. कैमल, ए. के. त्रिवेदी, वैभव त्रिवेदी, डॉ. राम शंकर, सुश्री सुगंती आर., जी. जय सिंह, सुश्री उषा प्रभाकरण, सुश्री सुजाता बागड़ी, मैसर्स। राम शंकर एंड कंपनी, प्रशांत भूषण, ओम प्रकाश अग्रवाल, सुश्री मंजीत चावला, जतिन भारद्वाज, संसार कुमार, राजेश कुमार, अमित गौरव सिंह, सुश्री रूपाली शर्मा, के. के. शर्मा, ई. सी. विद्या सागर, अर्जुन गर्ग, शोभित जैन, आकाश नंदोलिया, सुश्री सागुन श्रीवास्तव, अधिवक्ता ।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया

संजीव खन्ना, न्यायाधीश।

देरी को माफ कर दिया जाता है और अनुमति दी गई ।

2. विशेष अवकाश के माध्यम से ये अपीलें तीन मुद्दों को उठाती हैं, जो सभी जुड़े हुए हैं और संशोधित आश्वासन कैरियर प्रगति योजना से संबंधित हैं, अर्थात्:

(क) क्या एम. ए. सी. पी. योजना लागू है और होगी केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 को 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया था, या 19 मई 2009 के ओ. एम. के संदर्भ में 1 सितंबर 2008 से लागू किया गया था।

(ख) पदानुक्रम में अगले पदोन्नति पद के वेतनमान/श्रेणी वेतन के समतुल्य वित्तीय उन्नयन, या वेतन के पदानुक्रम में तत्काल अगले श्रेणी वेतन के हकदार हैं। जैसा कि केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 की पहली अनुसूची की धारा 1, भाग ए में कहा गया है?

(ग) क्या उत्तरदाता, जो केंद्रीय सशस्त्र निकाय से संबंधित हैं पुलिस बल, एम. ए. सी. पी. योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के अनुदान के हकदार हैं, यदि वे प्रशासनिक कारणों से पूर्व-आनुपातिक मानदंडों को पूरा करने में असमर्थ थे?

3. दूसरा प्रश्न **भारत संघ और अन्य बनाम एम. वी. मोहनन नायर** में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय द्वारा कवर किया गया है। कौन सा निर्णय समानताओं और उनके बीच के अंतर को स्पष्ट करता है आश्वस्त कैरियर प्रगति योजना 3, पूर्ववर्ती योजना जिसे एम. ए. सी. पी. योजना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि एम. ए. सी. पी. योजना, ए. सी. पी. योजना की तरह, एक प्रोत्साहन योजना है जिसे यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है कि जो कर्मचारी पर्याप्त पदोन्नति के अवसरों की कमी के कारण रुके हुए हैं, उन्हें वित्तीय उन्नयन के रूप में लाभ दिया जाए। वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत है, यह नियमित या वास्तविक कार्यात्मक पदोन्नति के बराबर नहीं है, और नए पद के सृजन की आवश्यकता नहीं है। इसकी वरिष्ठता स्थिति और आरक्षण के सिद्धांतों से कोई प्रासंगिकता नहीं है। वित्तीय उन्नयन केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाता है जिन्हें अपेक्षित सेवा अवधि पूरी होने के बाद भी वास्तविक या कार्यात्मक पदोन्नति नहीं मिली है, हालांकि अन्यथा, वे पदोन्नति के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसा कहने के बाद, एसीपी योजना और एमएसीपी योजना में काफी अंतर है। एसीपी योजना के तहत, एक सरकारी कर्मचारी अपनी नियमित सेवा के 12 और 24 साल पूरे होने पर, पदानुक्रम में अगले पदोन्नति पद के वेतनमान पर वित्तीय उन्नयन का हकदार है। एमएसीपी योजना के तहत, एक कर्मचारी 10, 20 और 30 साल की नियमित सेवा पूरी करने पर वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के पदानुक्रम में अगले उच्च ग्रेड वेतन के लिए तीन वित्तीय उन्नयन का हकदार है, जैसा कि धारा 1, भाग ए में दिया गया है। केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 की पहली अनुसूची)।

4. दोनों योजनाओं के बीच और वित्तीय उन्नयन के रूप में अंतर को इस न्यायालय ने एमवी मोहनन नायर (सुप्रा) में स्पष्ट रूप से समझाया है कि एमएसीपी योजना उचित विचार-विमर्श के बाद और की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद लागू की गई है। छठे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा पूर्ववर्ती एसीपी योजना में व्यवस्थित बदलाव लाने के लिए की गई सिफारिशें ताकि सभी कर्मचारियों को, उनके संगठनों/संवर्गों में मौजूदा पदानुक्रमित संरचना की परवाह किए बिना, अगले पदोन्नति पद पर लागू वेतन/श्रेणी वेतन के बजाय अगले तत्काल श्रेणी वेतन का समान वित्तीय लाभ मिल सके। एम. ए. सी. पी. योजना समाप्त करती है और इससे उत्पन्न होने वाली समस्या को ठीक करती है। अगले पदोन्नति पद के वेतनमान में अंतर-विभागीय असमानताएँ। परिवर्तन के उद्देश्य का विश्लेषण किया जाता है और एम. वी. मोहनन नायर (ऊपर), निम्नलिखित शब्दों में डिकोड किया जाता है:

> " 29. एमएसीपी योजना के तहत, पदोन्नति के बिना 10-20-30 साल की सेवा पूरी होने पर तीन नियमित अंतराल पर वित्तीय उन्नयन दिया जाता है। इसलिए, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि पदोन्नति के अवसर के अभाव में पदोन्नति नहीं मिलने के बावजूद कर्मचारियों को कुशलतापूर्वक काम करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन मिले। एसीपी योजना को एमएसीपी योजना से हटाकर नीति में बदलाव छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सुविचारित और अच्छी तरह से प्रलेखित सिफारिशों के बाद किया गया है। एसीपी योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न मुद्दों पर विचार करते हुए, वेतन आयोग ने अपने विचार व्यक्त किए "एसीपी की मौजूदा योजना में व्यवस्थित परिवर्तन लाने का एकमात्र अन्य तरीका है ताकि सभी कर्मचारी अपने संगठनों/संवर्गों में मौजूदा पदानुक्रम संरचना के बावजूद , इसके तहत कुछ लाभ प्राप्त करें"। इसलिए, आयोग ने सिफारिश की कि एसीपी की मौजूदा योजना को रिपोर्ट में बताए गए संशोधनों के साथ जारी रखा जाए कि वित्तीय उन्नयन अगले तत्काल ग्रेड वेतन में होना चाहिए। विशेषज्ञ निकाय द्वारा एमएसीपी योजना की सिफारिश करने का एक कारण यह था कि इसमें अंतर विभागीय असमानताएँ जहाँ कई विभागों में अलग-अलग पदोन्नति पदानुक्रम थे। परिणामस्वरूप, एसीपी योजना की कार्यप्रणाली, जिसके तहत एक कर्मचारी जो 12 वर्षों से रुका हुआ था, अगले पदोन्नति पद के वेतनमान में वेतन पाने का हकदार था, अंतर-संबंधित हो गया। विभागीय विसंगतियाँ. इसलिए, वेतन आयोग ने अंतर-विभागीय असमानताओं से उत्पन्न होने वाली समस्या को समाप्त करने की दृष्टि से एमएसीपी योजना की सिफारिश की।
>
> 30....पहले निकाले गए एमएसीपी योजना के अवलोकन से, यह देखा गया है कि योजना में प्रयुक्त शब्द "अनुशंसित संशोधित वेतन बैंड के पदानुक्रम में तत्काल अगले उच्च ग्रेड वेतन में नियुक्ति" हैं। "अगले प्रमोशनल पोस्ट में ग्रेड पे" शब्द एमएसीपी योजना के पूरे ढांचे में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। उत्तरदाताओं का तर्क है कि एमएसीपी योजना का लाभ पदोन्नति पद के लिए संदर्भित है, एमएसीपी योजना को अस्वीकार करता है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालाँकि एसीपी और एमएसीपी योजनाओं का उद्देश्य स्थिरता से राहत प्रदान करना है, लेकिन दोनों योजनाओं की विशेषताएं अलग-अलग हैं। छठे वेतन आयोग और एमएसीपी योजना

के तहत वेतनमान को अधिक फायदेमंद बताया गया है क्योंकि यह कर्मचारियों को उच्च वेतन बैंड और विभिन्न सुविधाओं के साथ समय अंतराल के साथ विस्तारित करता है जो एसीपी योजना के तहत उपलब्ध नहीं थे, जिसमें कम समय अवधि में तीन वित्तीय उन्नयन शामिल हैं। . किसी भी स्थिति में, एमएसीपी योजना को उत्तरदाताओं द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। जैसा कि विद्वान एएसजी ने सही तर्क दिया है, उत्तरदाताओं को पूर्ववर्ती एसीपी योजना से लाभकारी सुविधाओं को चुनने और एमएसीपी योजना में लाभकारी सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

31. एमएसीपी योजना के पीछे का उद्देश्य स्थिरता के खिलाफ राहत प्रदान करना है। यदि उत्तरदाताओं के तर्कों को स्वीकार कर लिया जाए, तो वे पदोन्नत व्यक्ति को दिए जाने वाले ग्रेड वेतन के अनुसार भुगतान पाने के हकदार होंगे; लेकिन अभी तक प्रमोटी की जिम्मेदारी नहीं संभाली है। जैसा कि भारत संघ की ओर से प्रस्तुत किया गया है, यदि कर्मचारी नियमित रूप से अनुरूप जिम्मेदारियों के बिना, अगले पदोन्नति पदानुक्रम में ग्रेड वेतन का आनंद लेने के हकदार हैं, तो इसका प्रशासन की दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

5. एमवी मोहनन नायर (सुप्रा) में निर्णय छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में स्थगित कर देता है, जिसने अपना प्रस्ताव बनाने से पहले कर्मचारियों द्वारा सभी मुद्दों, असमानताओं और यहां तक कि अभ्यावेदन की गहन जांच की थी, जिसके बाद सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद इसे स्वीकार कर लिया गया था। सरकार संशोधन के साथ. अदालतें आम तौर पर क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा अच्छी तरह से विचार-विमर्श किए गए निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी, जब तक कि वैधानिक उल्लंघन के कारण गोद लेना खराब न हो, नीति समानता के अधिकार के संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन करती हो, भेदभावपूर्ण हो, स्पष्ट रूप से मनमाना हो या अन्य मौलिक अधिकारों को नकारती हो। संविधान द्वारा कार्यपालिका को चयन का अधिकार दिया गया है क्योंकि उसका कर्तव्य है कि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन करे और अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह हो। अदालत वैधता चुनौती की जांच करती है, हालांकि, संवैधानिक कर्तव्य निभाते हुए और न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, योग्यता के आधार पर नीति की पसंद पर अपने विचारों को प्रतिस्थापित नहीं करती है। राजकोषीय मामलों में, वेतन निर्धारण और सेवा की शर्तों सहित, मौजूदा वित्तीय स्थिति, अतिरिक्त दायित्व वहन करने की क्षमता जैसे कई कारक प्रासंगिक हैं और इसलिए, अदालतें सावधानी से चलें क्योंकि हस्तक्षेप से सरकारी खजाने पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है और वित्तीय स्थिति गंभीर हो सकती है। आशय।

6. एमवी मोहनन नायर (सुप्रा) में, एसीपी योजना के तहत अगले पदोन्नति पद पर वेतन में वित्तीय उन्नयन के अनुदान के लिए "उद्देश्यपूर्ण व्याख्या" को अपनाने या 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत को लागू करने का तर्क दिया गया है। अर्थात. पदानुक्रमित वेतनमान में अगले ग्रेड वेतन में वित्तीय उन्नयन को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि वित्तीय उन्नयन को पदोन्नति के बराबर नहीं किया जा सकता है। गुण-दोष के आधार पर, यह माना गया है कि एमएसीपी योजना के अनुसार परिकल्पित

वित्तीय उन्नयन शत्रुतापूर्ण भेदभाव का मामला नहीं है। एमएसीपी योजना कर्मचारियों के एक वर्ग के लिए अतार्किक, अन्यायपूर्ण और पूर्वाग्रहपूर्ण नहीं है, बल्कि एक सुविचारित निर्णय है जिसमें सभी भौतिक और प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा गया है। वेतनमान और प्रोत्साहन का निर्धारण सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का मामला है, जो केंद्रीय वेतन आयोग जैसे विशेषज्ञ निकाय की सिफारिश पर आधारित होने पर महत्व देना चाहिए और अदालतों को इस नीति को अपने विचारों से प्रतिस्थापित करने में अनिच्छुक होना चाहिए। क्या अधिक न्यायसंगत और उचित होगा. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एमएसीपी योजना 10, 20 और 30 वर्षों की अवधि के बाद तीन वित्तीय उन्नयन के अनुदान को निर्धारित करती है, जबकि एसीपी योजना ने 12 और 24 वर्षों की नियमित सेवा के बाद केवल दो वित्तीय उन्नयन के अनुदान को निर्धारित किया था। इस प्रकार, पदोन्नति पदानुक्रम के ग्रेड वेतन में वित्तीय उन्नयन देने का दावा खारिज कर दिया गया। इसके अलावा, 1 सितंबर 2008 से, एसीपी योजना को सरकारी नीति के तहत एमएसीपी योजना से हटा दिया गया है और इसलिए, एमएसीपी योजना के कार्यान्वयन की तारीख से कर्मचारी, एसीपी योजना के किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं

7. इस न्यायालय द्वारा भारत संघ बनाम आरके शर्मा और अन्य में पहले प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित शब्दों में दिया गया है:

> “8. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित भारत की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री माधवी दीवान ने कहा कि बलबीर सिंह टर्न में इस न्यायालय ने माना कि एसीपीएस के तहत भुगतान वेतन संरचना का एक हिस्सा है, जबकि भारत संघ बनाम एमवी मोहनन नायर के बाद के फैसले में यह कहा गया था । कोर्ट की राय थी कि एसीपी और एमएसीपी दोनों योजनाएं प्रोत्साहन योजनाओं की प्रकृति में हैं। एमवी मोहनन नायर मामले में इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में ये अपीलें खारिज किए जाने योग्य हैं। अपीलकर्ता का तर्क यह है कि 1-1-2006 से नागरिक कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान और महंगाई भत्ते के संबंध में 5 वें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया गया था और महंगाई भत्ते के अलावा अन्य संशोधित भत्ते भी शामिल थे। 1-9-2008 से प्रभावी. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि प्रतिवादी एसीपी योजना के तहत प्रोत्साहन का हकदार है जो 31-8-2008 तक प्रचलित थी। प्रतिवादी 1-1-2006 से एमएसीपीएस की प्रयोज्यता की मांग नहीं कर सकता। एमएसीपीएस के अनुसार वित्तीय उन्नयन समान वेतन बैंड में उच्च ग्रेड वेतन में है जबकि एसीपी योजना के अनुसार वित्तीय उन्नयन 5 (2021) 5 एससीसी 579 पदोन्नति पद के अगले ग्रेड वेतन पर था । विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 1-1-2006 से एमएसीपीएस लागू करके नागरिक

अधिकारियों को दिए गए वित्तीय उन्नयन में संशोधन प्रतिवादी और अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों के लिए हानिकारक होगा क्योंकि उनसे भारी मात्रा में धन वसूल करना होगा।

9. इन मामलों में विवाद की बेहतर समझ के लिए, बलबीर सिंह टर्न और एमवी मोहनन नायर मामले में इस न्यायालय के निर्णयों की जांच करना आवश्यक है। बलबीर सिंह टर्न मामले में इस न्यायालय द्वारा जिस बिंदु पर विचार किया गया वह 1-1-2006 से एमएसीपीएस के लाभ की प्रयोज्यता से संबंधित है। इसमें उत्तरदाताओं ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण से संपर्क किया, जिसने माना कि किसी कर्मचारी को दिया गया एसीपी का लाभ वेतन संरचना का हिस्सा है जो वेतन और उसकी पेंशन को भी प्रभावित करता है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने माना कि एसीपी कोई भत्ता नहीं बल्कि वेतन का एक हिस्सा है और इसलिए, सरकारी संकल्प के अनुसार, कर्मचारी 1-1-2006 से एमएसीपी के हकदार थे। बलबीर सिंह टर्न की इस अदालत ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए उक्त निष्कर्ष को बरकरार रखा। 30-5-2011 को जारी निर्देश संकल्प दिनांक 30-8-2008 के विपरीत पाए गए, क्योंकि संकल्प 1-1-2006 के अनुसार वेतन और महंगाई भत्ते से संबंधित मामलों में एमएसीपीएस के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी तिथि थी।

10. एमवी मोहनन नायर मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने एसीपीएस के साथ-साथ एमएसीपीएस पर भी विचार करते हुए कहा कि योजनाएं प्रोत्साहन योजनाओं की प्रकृति में हैं जिन्हें ठहराव से राहत देने के लिए लागू किया गया था। इस न्यायालय का विचार था कि उत्तरदाता केवल वेतन बैंड में अगले ग्रेड वेतन के लाभ के हकदार थे, न कि अगले पदोन्नति पद के ग्रेड वेतन के लाभ के। चूंकि एमएसीपीएस वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप सरकारी नीति का मामला है, इस न्यायालय ने कर्मचारियों की इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि एमएसीपीएस को 1-1-2006 से लागू किया जाना चाहिए।

11. एमवी मोहनन नायर मामले में इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर, प्रतिवादी और अन्य समान स्थिति वाले कर्मचारी एमएसीपीएस के तहत केवल अगले ग्रेड वेतन के लिए वित्तीय उन्नयन के हकदार हैं, न कि अगले पदोन्नति पद के ग्रेड वेतन के। दिनांक 30-8-2008 के संकल्प से यह स्पष्ट है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई थी और संशोधित वेतनमान और महंगाई भत्ते के संबंध में नागरिक कर्मचारियों के संबंध में 1-1-2006 से प्रभावी कर दी गई थी। . जहां तक महंगाई भत्ते के अलावा अन्य संशोधित भत्तों का सवाल है, छठे वेतन आयोग की सिफारिशें 1-9-2008 से प्रभावी की गईं। एमवी मोहनन नायर मामले में फैसले ने मुद्दे को सुलझा दिया। एसीपी और एमएसीपी योजनाओं से मिलने वाले लाभ प्रोत्साहन हैं और वेतन का हिस्सा नहीं हैं। दिनांक 29-8-2008 के संकल्प को वेतन और डीए के अलावा

अन्य भत्तों के कार्यान्वयन के लिए 1-9-2008 से प्रभावी बनाया गया है जिसमें एसीपी और एमएसीपी योजनाओं के तहत वित्तीय उन्नयन शामिल है। इसलिए, प्रतिवादी और अन्य समान स्थिति वाले अधिकारी संकल्प दिनांक 29-8-2008 के अनुसार 1-1-2006 से एमएसीपीएस के लाभों के कार्यान्वयन की मांग करने के हकदार नहीं हैं। इसके अलावा, एमएसीपीएस का कार्यान्वयन केवल वित्तीय उन्नयन प्रदान करके किया जाता है। वेतन बैंड में अगले ग्रेड वेतन के लिए और 1-1-2006 से अगले पदोन्नति पद का वेतन न देना बड़ी संख्या में कर्मचारियों के लिए हानिकारक होगा, विशेषकर उन लोगों के लिए जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हमें विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की इस दलील में दम नजर आता है कि 1-1-2006 से असैनिक कर्मचारियों के लिए एमएसीपीएस के एक समान कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप अधिक भुगतान की गई राशि की बड़े पैमाने पर वसूली होगी।"

8. उपरोक्त पैराग्राफ **एमवी मोहनन नायर (सुप्रा)** मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का संदर्भ देते हैं, जिसे हमने ऊपर उद्धृत और संदर्भित किया है। **यह भारत संघ और अन्य बनाम बलबीर सिंह टर्न और अन्य**, के मामले में दो जजों की बेंच के फैसले को भी संदर्भित करता है, जिसमें कहा गया है कि ओएम दिनांक 19 मई 2009 के बावजूद कि एमएसीपी योजना लागू नहीं होगी। 1 सितंबर 2008 से लागू, एमएसीपी योजना 1 जनवरी 2006 से लागू होगी। **बलबीर सिंह टर्न (सुप्रा)** मामले में फैसले का कारण यह है कि केंद्र सरकार ने 30 अगस्त 2008 को छठी की सिफारिशों को स्वीकार करने का संकल्प लिया था। अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के संबंध में केंद्रीय वेतन आयोग, कुछ संशोधनों के अधीन। केंद्र सरकार के 30 अगस्त 2008 के संकल्प के खंड (i) पर भरोसा रखा गया था, जो इस प्रकार है:

"(i) 1-1-2006 से वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के साथ-साथ पेंशन की संशोधित वेतन संरचना का कार्यान्वयन और 1-9-2008 से भत्तों की संशोधित दरें (महंगाई भत्ता/राहत को छोड़कर) लागू करना।;"

यह संकल्प के खंड (ix) को भी संदर्भित करता है जो इस प्रकार है:

"(ix) पीबीओआर को 8, 16 और 24 वर्षों की सेवा के बाद 3 एसीपी उन्नयन का अनुदान;"

इसके बाद, **बलबीर सिंह टर्न (सुप्रा)** के फैसले में कहा गया है कि छठे केंद्रीय वेतन आयोग ने 10 और 20 साल की सेवा के बाद एसीपी योजना का लाभ देने की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 8, 16 और 20 के बाद एसीपी योजना देने का फैसला किया था। 24 साल की सेवा. अंत में, यह माना जाता है कि 30 अगस्त 2008 के संकल्प के खंड (i) के अवलोकन से संकेत मिलता है कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2006 से वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के साथ-साथ पेंशन के संशोधित वेतनमान को लागू करने का निर्णय लिया था। उक्त खंड के दूसरे भाग में कहा गया है कि महंगाई भत्ता/राहत को छोड़कर सभी भत्ते 1 सितंबर 2008 से प्रभावी होंगे। एमएसीपी योजना, वेतन संरचना का एक हिस्सा होने के नाते और कर्मचारियों के ग्रेड वेतन पर प्रभाव नहीं डाल सकती है। भत्ते का हिस्सा कहा जाएगा. एमएसीपी योजना

का लाभ, यदि कर्मचारियों को दिया जाता है, तो उनकी पेंशन पर असर पड़ेगा और इसका मतलब यह भी है कि इसे 1 जनवरी 2006 से लागू और प्रभावी किया जाएगा क्योंकि यह वेतन संरचना का एक हिस्सा है।

9. जैसा कि **आरके शर्मा (सुप्रा)** में सही माना गया है, **बलबीर सिंह टर्न (सुप्रा)** के मामले में दिए गए उपरोक्त तर्क को, हमारी राय में, **एमवी मोहनन नायर (सुप्रा)** के मामले में तीन जजों की बेंच के फैसले द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।), जो स्पष्ट शब्दों में कहता है कि एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का अनुदान वेतन संरचना का मामला नहीं है, बल्कि ठहराव को दूर करने के लिए लागू की गई एक प्रोत्साहन योजना है जो अपनी शर्तों पर संचालित होती है। हम यह जोड़ सकते हैं कि वेतनमान उन नियमों द्वारा तय और संशोधित किए जाते हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 और अनुच्छेद 148 के खंड (5) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियमित किए जाते हैं। इसलिए, 29 अगस्त 2008 की अधिसूचना के माध्यम से, केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 को जीएसआर संख्या 622 (ई) के माध्यम से अधिनियमित किया गया था। नियम 1(2) में कहा गया है कि अधिनियमित नियमों को 1 जनवरी 2006 को लागू माना जाएगा। उपरोक्त नियमों में एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन देने के लिए न तो कोई प्रावधान है और न ही कोई प्रावधान है। आगे यह ध्यान दिया जाना चाहिए, और यह दोनों पक्षों की स्वीकृत स्थिति है, कि एमएसीपी योजना, जैसा कि लागू किया गया है, 10, 20 और 30 वर्षों की नियमित सेवा के बाद वित्तीय उन्नयन अनुदान प्रदान करती है, न कि 8, 16 या 24 वर्षों के बाद। नियमित सेवा, जैसा कि मूल रूप से 30 अगस्त 2008 के सरकारी संकल्प के अनुसार परिकल्पित किया गया था, या उस मामले के लिए, 10 या 20 साल की सेवा, जैसा कि छठे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित किया गया था। हमारी राय में, केंद्र सरकार के 30 अगस्त 2008 के संकल्प को सरकारी कर्मचारियों को कोई अधिकार प्रदान करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। कानूनी अधिकार प्रदान करने के लिए संकल्प को अधिसूचित और लागू नहीं किया गया था। कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19.05.2009 01.09.2008 से एमएसीपी योजना को प्रख्यापित और संचालित करता है। कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि पूर्व एसीपी योजना के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय उन्नयन 30.08.2008 तक प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, पिछले मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा और पुरानी एसीपी योजना और एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के अनुदान के कारण वेतनमान में अंतर को एक विसंगति के रूप में नहीं माना जाएगा।

10. सरकारी कर्मचारियों के लिए विद्वान वकील, सही होने के बावजूद कि **एमवी मोहनन नायर (सुप्रा) बलबीर सिंह टर्न (सुप्रा)** का उल्लेख नहीं करते हैं और इसे विशेष रूप से खारिज नहीं करते हैं, इस बिंदु को याद करते हैं कि **एमवी मोहनन नायर (सुप्रा),** में दिए गए संपूर्ण अनुपात और तर्क जैसा कि **आरके शर्मा (सुप्रा)** में ठीक ही देखा गया है, **बलबीर सिंह टर्न (सुप्रा)** के अनुपात के साथ मेल नहीं खा सकता है। **एमवी मोहनन नायर (सुप्रा)** ने विवाद को निपटाने के लिए एमएसीपी योजना की गहराई और विस्तार से जांच की है, अन्य बातों के साथ-साथ यह माना है कि एमएसीपी योजना द्वारा एसीपी योजना का अधिक्रमण सरकारी नीति का मामला है, और "छठी की सिफारिश को स्वीकार करने के

बाद" केंद्रीय वेतन आयोग ने एसीपी योजना को वापस ले लिया और 1.9.2008 से इसे एमएसीपी योजना से हटा दिया गया। वेतन संरचना का हिस्सा, जिसने 1.1.2006 से वेतन और महंगाई भत्ते को संशोधित किया था। इन परिस्थितियों में, हमें नहीं लगता कि **आरके शर्मा (सुप्रा)** के फैसले में अनुपात पर पुनर्विचार करने के लिए तीन न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ के संदर्भ का कोई मामला बनता है। इसलिए, हम मामले के संदर्भ के लिए उत्तरदाताओं/सरकारी कर्मचारियों के विद्वान वकील के तर्क को अस्वीकार करते हैं।

11. तीसरे पहलू पर, हमें सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा उचित रूप से दी गई रियायत को दर्ज करना चाहिए कि केंद्रीय सशस्त्र बलों में काम करने वाले कर्मियों को नियमित वर्षों के पूरा होने पर एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय लाभ दिया जाएगा। उन मामलों में छूट द्वारा सेवा, जहां प्रशासनिक या अन्य कारणों से, उन्हें प्री-प्रमोशनल कोर्स में भाग लेने के लिए नहीं भेजा जा सका। अपीलकर्ता- भारत संघ इस संबंध **में राम अवतार शर्मा बनाम महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल** के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है। राष्ट्र के लिए कर्तव्य निभाने वाले कर्मियों की वास्तविक शिकायतों को दूर करने के लिए एक उदार, व्यावहारिक और सुधारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वे पूर्व-प्रमोशनल पाठ्यक्रमों में भाग लेना छोड़ देते हैं। तदनुसार, तीसरे प्रश्न का उत्तर अपीलकर्ता-भारत संघ के विरुद्ध दिया जाता है।

12. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, भारत संघ द्वारा दायर की गई अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं और आक्षेपित निर्णयों उस सीमा तक रद्द की जाती है जो यह मानती है कि एमएसीपी योजना 01.01.2006 से लागू होती है और एमएसीपी योजना के तहत कर्मचारी अगले प्रमोशनल पद के समतुल्य उन्नयन के बराबर वित्तिय लाभ के हकदार है। एमएसीपी योजना 1.9.2008 से लागू है और एमएसीपी योजना के अनुसार, पात्रता पदानुक्रम में तत्काल अगले ग्रेड वेतन के बराबर वित्तीय उन्नयन की है। वेतन बैंड जैसा कि केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 की पहली अनुसूची की धारा 1, भाग ए में बताया गया है। तीसरा मुद्दा, जो वित्तीय उन्नयन के अनुदान के लिए पूर्व-पदोन्नति मानदंडों की पूर्ति से संबंधित है, अपीलकर्ता-भारत संघ के विरूद्ध इस हद तक निर्णय दी जाती है कि भारत संघ के द्वारा केंद्रीय सशस्त्र बल के कर्मियों के मामले में इस पर जोर नहीं दिया जाएगा, जहां प्रशासनिक या अन्य कारणों से, उन्हें पूर्व-प्रमोशनल पाठ्यक्रम में नहीं भेजा जा सकता है या नहीं किया जा सकता है।

सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाता है।

अपीलों का निपटारा किया गया।

शंभु लाल साव